बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

उर्दू निदेशालय

कार्यालय आदेश

का०आ०सं०–उ०नि०–02–17/2025....10....../ पटना, दिनांक–14-01-26

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या–01/19 के आधार पर पत्रांक–4160/आ०, दिनांक–03.12.2024 द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी श्री अन्सार अहमद को उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अधीन सहायक उर्दू अनुवादक के पद पर वेतन स्तर–05 (29200–92300/–) में नियुक्त एवं स्तंभ–8 में अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है :–

क्र० सं०	रौल नं०	अनुशंसित अभ्यर्थियों का नाम एवं स्थायी पता	गृह जिला	जन्म तिथि	मेधा क्रमांक	अनुशंसित कोटि	पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10003401	अन्सार अहमद पिता–लियाकत अली ग्राम–A39/305 A-4 लाट, पो०–भैरो सरैया, थाना–जैतपुरा, जिला–वाराणसी, पिन–221001 (उत्तर प्रदेश)	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	02.01.1984	212	UR	अंचल कार्यालय, नावानगर, बक्सर

2. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा समर्पित शपथ–पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

3. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा समर्पित शपथ–पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण–पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

4. उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति अस्थायी होगी।

5. उक्त अभ्यर्थी की सेवा शर्तें एवं पदीय दायित्व "बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली, 2016" से आच्छादित होंगे।

6. उक्त अभ्यर्थी को वेतन के अतिरिक्त सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्ता देय होगा।

7. उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति में राज्य में प्रवृत्त नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

8. उक्त अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर अपने पदस्थापन कार्यालय में अनिवार्य रूप से योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

9. अभ्यर्थी को अपने पदस्थापन कार्यालय में योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10. पदस्थापन कार्यालय में योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

11. यदि पूर्व से नियोजित हो तो विरमन आदेश/त्याग–पत्र स्वीकृति आदेश समर्पित करना आवश्यक होगा।

12. इसमें अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(एस०एम० परवेज़ आलम)

निदेशक।

ज्ञाप संख्या :–उ०नि०–02–17 / 2025 58 /   पटना, दिनांक– 14-01-26

प्रतिलिपि :– श्री अन्सार अहमद, नवनियुक्त सहायक उर्दू अनुवादक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ। निदेश दिया जाता है कि आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर अपना योगदान संबंधित पदस्थापन कार्यालय में समर्पित करेंगे।

प्रतिलिपि :– स्थापना / बजट शाखा, उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ज़िला उर्दू भाषा कोषांग, समाहरणालय, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अंचलाधिकारी, नावानगर, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– ज़िला कोषागार पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– ज़िला पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को उनके पत्रांक–4160 / आ०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

14/1/26

(एस०एम० परवेज़ आलम)
निदेशक।